F. No. NCBC/06/10/113/2019-CP/AT

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

सुनवाई के कार्यवृत

अनुसंधान अनुभाग

भारत के विधि विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के नियमों का पालन न करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायतें प्राप्त हुई। जिन पर आयोग द्वारा सक्रियता दिखाते हुए कार्यवाही की गई एवं मामले कि गंभीरता को समझते हुए माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस संबंध मे सम्पूर्ण आयोग के समक्ष सुनवाई करने का निर्णय लिया व दिनांक 20.01.2020 को सुनवाई की गई। सुनवाई मे सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं केवल पाँच राज्यो (मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, हैदराबाद एवं पंजाब) के विधि विश्वविद्यालयो एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। सुनवाई के पश्चात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह निर्णय लिया कि सत्र 2020-21 से सभी विधि विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि आरक्षण के सभी नियमो का पालन सख्ती से किया जाये एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपनी ओर से जागरूकता दिखाते हुए उन विश्वविद्यालयों पर कार्यवाही करें जो आरक्षण के नियमो का पालन नहीं कर रहे हैं एवं कुलपति, नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद अगली सुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित हो।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसका निरीक्षण करने हेतु पुनः माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी ने सम्पूर्ण आयोग के समक्ष सुनवाई करने का निर्णय लिया एवं दिनांक 22.12. 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दो भागो में सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई एवं प्रथम भाग की सुनवाई मे अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं आठ राज्यो (मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, हैदराबाद, पंजाब, असम, हरियाणा एवं दिल्ली) के विधि विश्वविद्यालयो एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। द्वतीय भाग की सुनवाई को किसी कारणवश माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. डॉ सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री आचारी तल्लोजू, माननीय सदस्य

4. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
5. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
6. श्री अभिमन्यु, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारी:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधि, मध्य प्रदेश सरकार
4. श्री जसपाल सिंह, पंजाब सरकार
5. प्रिंसिपल सेक्रेट्री, हरियाणा सरकार
6. स्पेशल सेक्रेटरी, शिमला सरकार
7. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार
8. श्री फैजान मुस्तफा, कुलपति, नालसार विधि विश्वविद्यालय
9. कुलपति, असम विधि विश्वविद्यालय
10. कुलपति, भोपाल विधि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
11. कुलपति, राजीव गाँधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब
12. कुलपति, जोधपुर विधि विश्वविद्यालय
13. कुलसचिव, बी. आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा
14. कंट्रोलर परीक्षा, शिमला विधि विश्वविद्यालय
15. प्रो. जी. एस. बाजपेयी, दिल्ली विधि विश्वविद्यालय
16. कुलपति, दिल्ली विधि विश्वविद्यालय

शिकायतकर्ता:

1. श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, सीनियर अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता
1. श्री राजीव कुमार

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का संक्षिप्त विवरण:-

1. **श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, सीनियर अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविधालयों में जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित हैं उनमे अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण नहीं दिया जा रहा हैं। इन विधि विश्वविधालयों में भी दो प्रकार की सीट है एक स्टेट स्पेसिफिक एवं एक ऑल इंडिया कोटा की सीट, इन दोनों सीटों में से कुछ विधि विश्वविधालयों द्वारा स्टेट स्पेसिफिक सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण दिया जा रहा हैं परन्तु किसी भी विधि विश्वविधालय द्वारा ऑल इंडिया कोटा की सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नहीं दिया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में दिनाँक 20.01.2020 को आयोग द्वारा सुनवाई भी की गई थी जिसमे सभी विधि विश्वविधालयों को यह निर्देश दिया गया था कि वर्ष सत्र 2020-21 से सभी विधि विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि आरक्षण के सभी नियमो का पालन सख्ती से किया जाये एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपनी ओर से जागरूकता दिखाते हुए उन विधि विश्वविद्यालयों पर कार्यवाही करें जो आरक्षण के नियमो का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही सभी विधि विश्वविधालय कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करवाएंगे। परन्तु अभी तक किसी भी विधि विश्वविधालय ने माननीय आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अतः माननीय आयोग से मेरा अनुरोध है कि विधि विश्वविद्यालयों से पूछें कि अब तक माननीय आयोग के निर्देशों का पालन क्यूँ नहीं किया जा रहा हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देने की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 6 हज़ार बच्चों के सीटों की हानि हो रही हैं।
2. **माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी** ने सभी विधि विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपरोक्त समस्या के संबध में विचार विमर्श किया एवं आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू न करने के कारण से आयोग को अवगत करवाने की अपेक्षा की।
3. **कुलपति, नालसार विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को अवगत करवाया कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य कोटे में राज्य सरकार के नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं 27 प्रतिशत आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में भी दिया जाये इस संबंध में जनरल काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए एवं किस प्रकार आयोग के निर्देश का पालन

किया जा सकता इस पर निर्णय लिया जाये परंतु उन्हें कोरोना हो गया। अभी कुछ दिन पूर्व ही उनसे इस संदर्भ में बात हुई है एवं उन्होंने जानकारी दी कि एक ड्राफ्ट सभी सदस्यों के मध्य परिचालित कर दिया गया है जैसे ही वहां से रिपोर्ट आ जाएगी उस रिपोर्ट पर पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं जनरल काउंसिल की मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत कर उस पर चर्चा की जायेगी तथा जो भी निष्कर्ष होगा उसे चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया जायेगा। इसके पश्चात् जो भी संशोधन होना है वह हो जायेगा। आपकी अनुमति से मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ की नालसर के एक्ट में अनुच्छेद 27 में एक प्रावधान है जिसे ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट कहते है उसके अनुसार मैं आपको यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारे एक्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं अतः कुलपति होने के नाते मैं केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। माननीय आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार जो कर सकता था मैंने तुरंत किया। यदि इसके पश्चात् माननीय आयोग का कोई प्रश्न हैं तो मैं उसका उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ।

4. **मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार** ने आयोग को अवगत करवाया कि नालसार विधि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के नियम के अनुसार स्थापित किया गया हैं एवं आरक्षण से सम्बंधित नियमों को 5 'A' में वर्णित किया गया है जिसके अनुसार नालसार विधि विश्वविद्यालय में आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे ही नालसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा बनायीं गई समिति की रिपोर्ट हमे प्रस्तुत की जाएगी, उस पर विचार विमर्श किया जायेगा एवं विधान सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा। विधान सभा द्वारा जो भी एक्ट में संसोधन किया जायेगा वह सभी को मान्य होगा।इस बीच में यदि माननीय आयोग की तरफ से कोई निर्देश आता है तो हम उस पर भी विचार विमर्श करेंगे एवं आपके निर्देश का पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे।

5. **कुलपति, असम विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि आयोग से निर्देश प्राप्त होने पश्चात् वर्ष 2020-21 से ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। असम विधि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कुल 60 सीटें है जिनमे से 27 प्रतिशत के अनुसार 16 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को प्रवेश दिया गया है एवं एक सीट पर कन्वर्शन की वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थी को प्रवेश दिया गया है अतः कुल 17 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को प्रवेश दिया गया है एवं एल. एल. एम. में कुल 30 सीटें है जिनमे से 27 प्रतिशत के अनुसार 08 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

6. **कुलपति, भोपाल विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि महोदय मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 29 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है परंतु भौगोलिक द्रष्टी को देखते हुए क्यूँकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा हैं इसीलिए वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा हैं। वर्ष 2020 में मध्यप्रदेश सरकार ने यह घोषणा की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए परंतु मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चला गया एवं गरिमा सिंह बघेल बनाम भारत सरकार मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आरक्षण देने से इंकार कर दिया कि इंदिरा सहनी निर्णय के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाना चाहिए एवं उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार से कुछ जानकारी मांगी है जैसे ही वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी 27 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हो जायेगा। इसमें कुलपति होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जैसे ही सरकार द्वारा संसोधन कर दिया जाएगा हम उसे लागू कर देंगे।
7. **अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधि, मध्य प्रदेश सरकार** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी जो कि नहीं हो पाया है परंतु भोपाल विधि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है ये इस मामले को जनरल काउंसिल की मीटिंग में रख कर इस पर निर्णय ले सकता है।
8. **कुलपति, राजीव गाँधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि राजीव गाँधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के एक्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है परंतु जब पंजाब सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया तो हमने तुरंत ही यह मामला अपनी cxccutive council के समक्ष रखा जिसमे यह तय किया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा एवं मामले को पुनः जनरल काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनरल काउंसिल ने भी इस संबंध में अपनी सहमति प्रस्तुत की एवं यह निर्णय लिया कि उक्त मामले को के संबंध में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से भी दिशानिर्देश लेना चाहिए। हमने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने के संबंध में जानकारी अपनी विवरणिका में भी दे दी

है, जैसे ही भारतीय बार परिषद् से दिशानिर्देश प्राप्त हो जाएंगे हम पूरी सीटों पर 10 प्रतिशत का आरक्षण लागू कर दिया जाएगा।

9. **श्री जसपाल सिंह, पंजाब सरकार** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि मैंने अभी ही ज्वाइन किया है इसीलिए मुझे मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है परंतु जितना मैं मामले को समझ पाया हूँ उसके अनुसार ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत आरक्षण केंद्र के आरक्षण नियमों के अनुसार एवं डोमिसाईल कोटे में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाना है। डोमिसाईल कोटे में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं ऑल इंडिया कोटा के संबंध में मुझे आज ही जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं जल्द से जल्द पूरे मामले का अध्यन करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमनुसार एवं आयोग के निर्देशों के अनुसार यथोचित निर्णय लेने का प्रयास करूँगा।

10. **सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि Central Education Institution Reservation in Admisson Act 2006 जो की 04 जनवरी, 2007 से लागू हुआ था उसके अनुसार सभी को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन करना ही है एवं केंद्र सरकार द्वारा पोषित सभी संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार के द्वारा संचालित संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो उन्हें यथानुसार अपने एक्ट में संसोधन करना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर इस संबंध दिशा निर्देश जारी किये जाते है दिनांक 19.10.2020 को भी इस संबंध में एक पत्र भारत के सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को जारी किया गया हैं जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पोषित सभी संस्थानों में केंद्र सरकार के नियमानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी संस्थानों में राज्य सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। इसमें कोई भी दुबिधा या संशय वाली बात ही नहीं है।

11. **श्री राजीव कुमार, शिकायतकर्ता** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि राजीव गाँधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब में केंद्र की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। राजीव गाँधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के 2019 के विवरणिका के अनुसार इनकी सारी सीटें ऑल इंडिया कोटे की है, डोमिसाईल कोटे की नहीं है।

12. **श्री फैजान मुस्तफा, कुलपति, नालसार विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि जो Central Education Institution Reservation in Admisson Act 2006 की बात की जा रही है उसमे यह स्पष्ट रूप से निहित है कि यह एक्ट केवल केंद्र सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर ही लागू होगा एवं उस एक्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि Central Education Institution क्या है उस एक्ट के अनुसार वह विश्वविद्यालय जो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत स्थापित हुआ हो अथवा जिस विश्वविद्यालय को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो अथवा जिस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेक्शन-3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया हो, वे सभी Central Education Institution के अंतर्गत आता है।

13. **कुलपति, जोधपुर विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हम 16.01.2021 को होने वाली जनरल काउंसिल की मीटिंग में इस मामले को रखने वाले है। हमारे विधि विश्वविद्यालय को न तो राज्य सरकार से ग्रांट प्राप्त होता है और न ही केंद्र सरकार से, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे। जनरल काउंसिल के पास अधिकार होते है कि वे सिफारिश दे सकते है एवं उनकी सिफारिश के आधार पर एक्ट में भी संसोधन किया जा सकता हैं।

14. **कुलसचिव, बी. आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि बी. आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधिनियम के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालय है जिसमे राज्य कोटे में 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को (BC-A को 16 प्रतिशत एवं BC-B को 11 प्रतिशत) दिया जा रहा है। कुल 120 सीट है जिसमे 90 सीट ऑल इंडिया कोटा की है जिसमे 62 सीट अनारक्षित श्रेणी, 07 सीट ई. डब्लू. एस. श्रेणी, 14 सीट अनुसूचित जाति श्रेणी, एवं 07 सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी को आरक्षित है। राज्य कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत के अनुसार 8 सीटें आरक्षित है। आयोग के निर्देशानुसार हमने राज्य सरकार से इस संबंध में पत्राचार किया था एवं 3-4 बार अनुस्मारक भेजने के बाद अभी हाल ही में हमे राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है कि जब आपको राज्य सरकार की स्पष्ट नियमावली ज्ञात है तब फिर क्यूँ आपको इस प्रकार का पत्र लिखने की आवश्यकता हुई जिसका जवाब हमने 3 दिन के भीतर आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए दिया है। अब यदि राज्य सरकार से हमे कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो हम अवश्य ही उचित कार्यवाही करेंगे।

15. **प्रिंसिपल सेक्रेट्री, हरियाणा सरकार हरियाणा** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि हमने इस मामले को नोट कर लिया है मुख्य सचिव जी के संज्ञान में यह मामला लाकर उचित कार्यवाही करेंगे।

16. **कंट्रोलर परीक्षा, शिमला विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि आयोग के निर्देश आने के पश्चात् हमने वर्ष 2020- 21 से स्नातकोत्तर में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। स्नातक स्तर पर दो कोर्सेस है जिनमे हमे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 60 सीटों पर प्रवेश देने का अनुमोदन प्राप्त है क्यूँकि हमारी नियामक अधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अतः स्नातक स्तर पर आरक्षण प्रदान करने के लिए हमे उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। हमारे विश्वविद्यालय के एक्ट की धारा 42 में यह निहित है कि शिमला विधि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के आरक्षण के नियमानुसार ही कार्य करेगा एवं हमारे एक्ट में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके लिए हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि वे हमे निर्देश दें कि प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किस प्रकार आरक्षण दिया जाना है।

17. **स्पेशल सेक्रेटरी, शिमला सरकार** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि राज्य में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिसके संबंध में शिमला विधि विश्वविद्यालय को पत्र भेज दिया गया है वे नियमानुसार कार्यवाही कर आरक्षण लागू कर सकते है एवं ऑल इंडिया अथवा केंद्र कोटे के बारे में विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के नियम एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार आरक्षण लागू कर सकते है एवं जो भी निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा उससे राज्य सरकार को अवगत करा दें जिस पर राज्य सरकार विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को अवगत करा देंगे।

18. **माननीय सदस्य, श्री आचारी तल्लोजू** ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जानकारी मांगी कि वे कितने विश्वविद्यालयों को ग्रांट प्रदान करते है इसके संबंध में लिखित में जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्यों ये राज्य सरकारे विधान सभा द्वारा पारित नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नियम एवं भारत सरकार द्वारा जारी नियमों को नहीं मान रहे है?

19. **सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि हम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करते है एवं राज्य विश्वविद्यालयों को सीमित मात्र में वित्तीय सहायता प्रदान करते है परंतु पूर्ण वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती

है। जो भी जानकारी आयोग द्वारा मांगीगई है उसे एकत्रित करके आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

20. **प्रो. जी. एस. बाजपेयी, दिल्ली विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त होने के पूर्व ही हम लोग 22 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा चुका है। 27 प्रतिशत आरक्षण के बारे में आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय हैं जिसके लिए सरकार द्वारा 7 एकड़ जमीन हमे सरकार द्वारा प्रदान की गई है जो कि पर्याप्त नहीं है एवं इसके लिए हमने दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा है जैसे ही हमे जमीन प्रदान कर दी जाएगी सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विश्वविद्यालय दिल्ली विधि विश्वविद्यालय ही होगा। यह तथ्य पहले भी आपको लिखकर दिया जा चुका है एवं अभी हाल ही में फिर से भी लिख कर दिया जा चुका है। मेरा एक और अनुरोध है कि आयोग द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया जाए कि वे आरक्षण लागू करने के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी उपलब्ध करवाएं ताकि जिन विधि विश्वविद्यालयों की आरक्षण देने की मंशा है वे पूर्णतः आरक्षण प्रदान कर सकें।

21. **प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि दिल्ली विधि विश्वविद्यालय से हमे इस संबंध में कुछ समय पूर्व प्रस्ताव भेजा गया था परंतु दिल्ली सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया है क्यूँकि दिल्ली सरकार की नीति है कि दिल्ली राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित किया जाये। सिर्फ दिल्ली विधि विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमे यह लागू नहीं है इसीलिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक दिल्ली विधि विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं लागू नहीं किया जाता है तब तक दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी कैपिटल अनुदान नहीं प्रदान किया जाएगा, परंतु रखरखाव के लिए लगातार ही अनुदान प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली राज्य सरकार का भी यह मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए एवं मेरा दिल्ली विधि विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध है कि छात्रावास की समस्या के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण देने से मना नहीं करना चाहिए क्यूँकि जिस प्रकार इनके द्वारा 22 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है उसी प्रकार 27 प्रतिशत भी दिया जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत एवं दिल्ली राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण अतिशीघ्र लागू करें।

22. **कुलपति, दिल्ली विधि विश्वविद्यालय** ने आयोग को यह अवगत करवाया कि वर्ष 2019 में ही दिल्ली राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया था परंतु यह मामला दिल्ली न्यायालय में चला गया इस वजह से आरक्षण नहीं दिया जा रहा हैं।

सुनवाई के पश्चात् आयोग की अपेक्षा:

समस्त विधि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों व सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से चर्चा करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी ने यह अपेक्षा की अतिशीघ्र ही अन्य पिछड़ा वर्ग को ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्यवाही की जाए व कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जाएगा। साथ ही माननीय सदस्य, श्री आचारी तल्लोजू द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मांगी गई जानकारी कि वे कितने विश्वविद्यालयों को ग्रांट प्रदान करते हैं, अतिशीघ्र ही आयोग को उपलब्ध करवायी जाए।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(श्री आचारी तल्लोजू)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

डॉ. भगवान लाल साहनी) 4/2/21
माननीय अध्यक्ष,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग